

राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC VI)/2018/503

दिनांक: 26.02.2018

नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अध्याय VII के तहत विभाग के निम्न अधिशुल्क / अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं अन्य शुल्क संग्रहण के ठेके (क.स. 1 से 7 एवं 18 तक वर्णित ठेकों की अवधि संविदा निष्पादन की तिथि से 31.3.2019 तक एवं क.स. 8 से 17 पर वर्णित ठेके की अवधि 1.4.2018 से 31.3.2020 तक एवं क.स. 19 से 22 पर वर्णित ठेके की अवधि संविदा निष्पादन की तिथि से 31.3.2020 तक) ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार बोली इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर आमंत्रित की जाती है। उक्त बोली दो चरणों में ली जावेगी।

क्र.स	ठेके का कोड क्रमांक	कार्यालय का नाम जिस क्षेत्र का ठेका दिया जाना है	ठेका क्षेत्र का विवरण	ठेके का प्रकार	खनिज का नाम	ठेके के तहत वसूल की जाने वाली राशि का विवरण	ठेके की आरक्षित राशि (रूपयों में)	बोली लगाने हेतु अमानत राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	प्रथम चरण में बोली प्रस्तुत करने की दिनांक व समय	द्वितीय चरण में बोली प्रस्तुत करने की दिनांक	द्वितीय चरण में बोली प्रस्तुत करने का समय
1	33	खनि अभियन्ता, जयपुर	जिला जयपुर की तहसील फुलेरा की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर व गिट्टी	ईआरसीसी	चेजा पत्थर व गिट्टी	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	92650500	08.03.18	09.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	14.03.18	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
2	109	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	जैसलमेर जिले की राजस्व सीमा में खनिज बजरी के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज बजरी	ईआरसीसी	बजरी	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	8379900	08.03.18	09.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	14.03.18	11.00 ए.एम. से 1.00 पी.एम.

CL

3	75	सहायक खनि अभियंता, बालेसर	जिला जोधपुर की तहसील शेरगढ के ग्राम सेतरावा व थुम्बावली, ग्राम खानोडी एवं लालपुरा की राजस्व सीमा में खनिज सेण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज सेण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन	आरसीसी	सेण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	1210000	08.03.18	09.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	14.03.18	1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम.
4	212	सहायक खनि अभियन्ता, गोटेन	जिला नागौर की तहसील मेडता व रियाबडी की राजस्व सीमा में खनिज क्वार्टज, फ़ैल्सपार, पीली मिट्टी, केओलिन, सिलिका सैण्ड के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज क्वार्टज, फ़ैल्सपार, पीली मिट्टी, केओलिन, सिलिका सैण्ड	ईआरसीसी	क्वार्टज, फ़ैल्सपार, पीली मिट्टी, केओलिन, सिलिका सैण्ड	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	23733000	08.03.18	09.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	14.03.18	2.00 पी.एम. से 4.00 पी.एम.
5	210	खनि अभियंता, श्रीगंगानगर	जिला श्री गंगानगर की राजस्व सीमा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज जिप्सम से अधिक अधिशुल्क व डी.एम.एफ.टी. वसूली तथा खातेदारी भूमि में नियम 52(3) के तहत जारी जिप्सम के परमिटों से निर्गमित खनिज जिप्सम पर प्रीमियम अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी. वसूली	ईआरसीसी एवं आर.सी.सी.	जिप्सम	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी. (खनन पट्टों) से तथा अधिशुल्क, प्रीमियम एवं डी.एम.एफ.टी. (परमिटों से)	131310000	08.03.18	09.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	14.03.18	3.00 पी.एम. से 5.00 पी.एम.

22

6	213	खनि अभियन्ता, बाडमेर	जिला बाडमेर (तहसील सिवाना एवं समदडी को छोडकर) की राजस्व सीमा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज जिप्सम से अधिक अधिशुल्क व डी.एम.एफ.टी. वसूली तथा खातेदारी भूमि में नियम 52(3) के तहत जारी जिप्सम के परमितों से निर्गमित खनिज जिप्सम पर प्रीमियम अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी. वसूली	ईआरसीसी एवं आर.सी. सी.	जिप्सम (सेलेनाईट को छोडकर)	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी. (खनन पट्टों) से तथा अधिशुल्क, प्रीमियम एवं डी.एम.एफ.टी (परमितों से)	50495400	08.03.18	09.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	14.03.18	4.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.
7	215	खनि अभियन्ता, ब्यावर	जिला अजमेर की तहसील ब्यावर में खनिज शिष्ट के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज शिष्ट	ईआरसीसी	शिष्ट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	3697200	08.03.18	09.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	14.03.18	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
8	203	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील लूणी की राजस्व सीमा में खनिज रायोलाईट के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज रायोलाईट	ईआरसीसी	रायोलाईट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	36206100	08.03.18	09.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	14.03.18	11.00 ए.एम. से 1.00 पी.एम.
9	204	खनि अभियन्ता, बांसवाडा	जिला बांसवाडा की तहसील बांसवाडा, व गढी एवं जिला डूंगरपुर की तहसील आसपुर की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल	ईआरसीसी	मार्बल	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	277367800	08.03.18	09.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	14.03.18	12.00 दोपहर से 2.00 पी.एम.

10	205	खनि अभियंता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील लूणी व जोधपुर की राजस्व सीमा में खनिज सेण्डस्टोन, मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज सेण्डस्टोन, मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	सेण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	36707000	08.03.18	09.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	14.03.18	1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम.
11	207	खनि अभियंता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बिलाडा, भोपालगढ (ग्राम सुवाणा को छोडकर) व पीपाड शहर की राजस्व सीमा में खनिज लाईमस्टोन (अप्रधान) के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज लाईमस्टोन (अप्रधान)	ईआरसीसी	लाईमस्टोन (अप्रधान)	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	278333100	08.03.18	09.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	14.03.18	2.00 पी.एम. से 4.00 पी.एम.
12	209	खनि अभियंता, बाडमेर	जिला बाडमेर की तहसील सरनू व आकल की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	8546400	08.03.18	09.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	14.03.18	3.00 पी.एम. से 5.00 पी.एम.
13	214	खनि अभियन्ता, मकराना	जिला नागौर की तहसील परबतसर के ग्राम बिदियाद, गुणावती, तहसील मकराना के ग्राम मकराना, बोरवड, कोलाडूंगरी व मोरेड की राजस्व सीमा में खनिज मारबल के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज मारबल पर अधिशुल्क, तुलाई शुल्क व डी.एम. एफ.टी. सग्रहण ठेका	आरसीसी	मारबल	अधिशुल्क, तुलाई शुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	327825000	08.03.18	09.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	14.03.18	4.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.
14	216	खनि अभियन्ता, सिरौही	जिला सिरौही की तहसील सिरौही की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	1480500	08.03.18	09.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	15.03.18	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर


15	217	खनि अभियन्ता, बाडमेर	जिला बाडमेर की तहसील बायतु एवं सिणधरी के ग्राम सणफा, खरण्टिया, गोदारों का सरा व त्रिसुलिया की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	2981300	08.03.18	09.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	15.03.18	11.00 ए.एम. से 1.00 पी.एम.
16	218	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील जोधपुर की राजस्व सीमा में खनिज सैण्ड स्टोन के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज सैण्ड स्टोन (पट्टी कातला) आसलेट व खण्डा पर अधिशुल्क, तुलाई शुल्क व डी.एम.एफ.टी. संग्रहण टेका	आरसीसी	सैण्ड स्टोन (पिट्टी कातला) आसलेट व खण्डा	अधिशुल्क, तुलाई शुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	693592200	08.03.18	09.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	15.03.18	12.00 दोपहर से 2.00 पी.एम.
17	221	खनि अभियन्ता, डूंगरपुर	जिला डूंगरपुर की तहसील डूंगरपुर, सीमलवाडा, चीकली, झोथरी की राजस्व सीमा में खनिज सरपेनटाईन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सरपेनटाईन	ईआरसीसी	सरपेनटाईन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	105903900	08.03.18	09.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	15.03.18	1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम.
18	98	खनि अभियन्ता डूंगरपुर	जिला डूंगरपुर की तहसील डूंगरपुर व सागवाडा की राजस्व सीमा में खनिज पट्टी, कातला के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित होने वाला खनिज पट्टी, कातला व मेसेनरी स्टोन (कोपरे)	आरसीसी	पट्टी, कातला व मेसेनरी स्टोन (कोपरे)	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	263300	02.04.18	03.04.18 को 8.00 पी.एम. तक	05.04.18	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
19	242	खनि अभियन्ता, सीकर	जिला सीकर की तहसील श्रीमाधोपुर एवं खण्डेला की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	33245400	02.04.18	03.04.18 को 8.00 पी.एम. तक	05.04.18	11.00 ए.एम. से 1.00 पी.एम.

20	243	सहायक खनि अभियन्ता, दौसा	जिला दौसा की तहसील बस्वा की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	3868000	02.04.18	03.04.18 को 8.00 पी.एम. तक	05.04.18	12.00 दोपहर से 2.00 पी.एम.
21	244	सहायक खनि अभियन्ता, दौसा	जिला दौसा की तहसील सिकराय (राजस्व ग्राम राजपुरा, गिलारी को छोड़कर) की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	32067000	02.04.18	03.04.18 को 8.00 पी.एम. तक	05.04.18	1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम.
22	245	खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय, राजसमंद	जिला राजसमंद की तहसील नाथद्वारा व खमनोर की राजस्व सीमा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज लाईम स्टोन (बर्निंग), चिप्स एवं मार्बल खण्डा	ईआरसीसी	लाईम स्टोन (बर्निंग), चिप्स एवं मार्बल खण्डा	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	9344700	02.04.18	03.04.18 को 8.00 पी.एम. तक	05.04.18	2.00 पी.एम. से 4.00 पी.एम.

नोट :-

- समस्त ठेकों, चाहे वह कितनी भी आरक्षित राशि के हैं, के ई-ऑक्शन में भाग लेने हेतु विभागीय पंजीयन राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 35 व 36 के प्रावधानों अनुसार अनिवार्य है।
- बोलीदाता को बोली में भाग लेने से पूर्व इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता एम.एस.टी.सी. पर पंजीयन करवाना आवश्यक होगा जिसका एड्रेस [mstcecommerce.com](http://mstcecommerce.com) है। पंजीयन के पश्चात एम.एस.टी.सी. द्वारा बोलीदाता को लॉगिन आई.डी. व पासवर्ड उपलब्ध करवाया जावेगा। एम.एस.टी.सी. के साथ पंजीयन केवल एक बार ही करवाना होगा। उक्त पंजीयन के आधार पर इच्छुक व्यक्ति खनिज विभाग में ठेके तथा खनन पट्टे में बोली इत्यादि में भाग ले सकेंगे।
- बोलीदाता को आरक्षित राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि अमानत राशि के रूप में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता (एम.एस.टी.सी.) को जरिये आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. / आई.एम. पी.एस. जमा करानी होगी। बोलीदाता को प्रथम चरण में आरक्षित राशि के बराबर अथवा उससे अधिक की प्रारम्भिक बोली (initial price offer) के रूप में दी जानी होगी। द्वितीय चरण में वे ही बोलीदाता भाग ले सकेंगे जिन्होंने प्रथम चरण में अपनी प्रारम्भिक बोली दी है तथा बोली (रैंक) के आधार पर द्वितीय चरण हेतु चयनित होंगे। प्रथम चरण में चयनित वे बोलीदाता जिन्हें द्वितीय चरण में भाग लेना है उन्हें जरिये ईमेल / एस.एम.एस. से सूचित किया जावेगा। प्रथम चरण में जो उच्चतम बोली प्राप्त होगी, वह द्वितीय चरण के लिये न्यूनतम बोली राशि अर्थात Floor price होगी। प्रथम चरण में योग्य घोषित बोलीदाता द्वितीय चरण में अपनी अंतिम बोली प्रस्तुत कर सकेंगे जो उक्त न्यूनतम बोली राशि (Floor price) से कम नहीं होगी। द्वितीय चरण में अंतिम बोली नीलामी समाप्त होने से पूर्व तक कितनी भी बार बढ़ाई जा सकती है। द्वितीय चरण में कोई बोली प्राप्त नहीं होने पर प्रथम चरण के उच्चतम बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी। द्वितीय चरण में चयनित उच्चतम बोलीदाता को जरिये ईमेल / एस.एम.एस. सूचित किया जावेगा।
- द्वितीय चरण हेतु योग्य पाये जाने वाले बोलीदाताओं को द्वितीय चरण में बोली प्रस्तुत करने की तिथि से एक दिवस पूर्व जरिये ई-मेल से सूचित किया जायेगा।
- द्वितीय चरण की बोली समाप्ति के एक दिवस बाद उच्चतम बोलीदाता को ई-मेल से सूचित किया जावेगा।
- रूपया 10 करोड़ से अधिक बिड राशि के ठेकों में ठेकेदार को स्वयं के खर्च पर तुलायंत्र स्थापित करना होगा जो ठेका समाप्ति के बाद विभाग को सुपुर्द करना होगा।
- ई-ऑक्शन हेतु गाईडलाईन एवं ठेके की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 में किया गया है।

- 8 प्रथम चरण में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची तथा शपथ पत्रों का प्रारूप विभागीय वेबसाईट [www.mines.rajasthan.gov.in](http://www.mines.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।
- 9 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट [www.mines.rajasthan.gov.in](http://www.mines.rajasthan.gov.in) व इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता एम.एस.टी.सी. की वेबसाईट [mstcecommerce.com](http://mstcecommerce.com) पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।

  
(डी.एस. मारु)


निदेशक

दिनांक: 26.02.2018

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC VI)/2018/504-568

प्रतिलिपि :-

- 1- श्री दिनेश कुमार मील, Dy. Manager, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन एम एस टी सी की वेबसाईट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2- नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 - नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
- 4- निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :-  
अ- अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।  
ब- अधीक्षण खनि अभियन्ता - उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।  
स- खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर/अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी-1/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/नागौर/सोजत/उदयपुर/राजसमन्द-1/II/आमेट/भीलवाडा/चित्तोडगढ़/प्रतापगढ़/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर।  
द -सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/सलूमबर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/हनुमानगढ़/चुरु/नीमकाथाना/सावर

  
(ओ.पी. काबरा) 26/2/18  
अधीक्षण खनि अभियन्ता (नी.प्र.)